

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/१, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर
क्रमांक : एफ.५() आयो. /बजट/सान्चाअवि/२१/४४७

जयपुर, दिनांक : २२-१२-२०२१


प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या ५१/२०२१-२२

निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जयपुर के बाहरी हिस्से में लगी सीमेन्ट टाईल्स व बरसाती पाईप लाईन जिसे हटाकर नई टाईल्स व पाईप लाईन लगवाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य निधि के अन्तर्गत राशि 19.79 लाख रुपये (अक्षरे उन्नीस लाख उन्नासी हजार मात्र) के आवंटन की वित्त (व्यय-२) विभाग की आई.डी. संख्या 162100961 दिनांक 01.11.2021 के अनुसरण में मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित बजट सीमा तक व्यय करने एवं आहरण एवं वितरण की शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु अधिकृत करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्व द्वारा प्रदान की जाती है।

व्यय निम्न लेखा मद से किया जायेगा:-

4225	अनु.जाति, अनु.जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
01	अनुसूचित जातियों का कल्याण
789	अनु. जाति हेतु विशिष्ट संघठक योजना
05	छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण[००]
00	वृहद निर्माण कार्य (मांग संख्या ५१)
72	आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन (राज्य निधि)

आवंटित राशि का तकमीना अनुसार शत-प्रतिशत उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करावें तथा आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जावे तथा व्यय की गई राशि की सूचना ३१ मार्च 2022 तक भिजवाई जावें।


(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.5() आयो. / बजट / सान्याअवि / 21 / ८४७। - ७९
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

जयपुर, दिनांक : 22-12-2021

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
 2. निदेशक, वित्त (बजट), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
 3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय- ।।) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त विभाग (आय-व्यय अनुभाग), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति अनुसार कुल राशि रूपये 19.79 लाख (अक्षरे उन्नीस लाख उन्नासी हजार मात्र) हेतु मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को आहरण एवं वितरण की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति जारी करने का श्रम करें।
 5. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 6. निजी सचिव निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
 8. अतिरिक्त निदेशक (योजना) मुख्यावास।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि IFMS पर ऑन लाइन करने, उक्त बजट सार्वजनिक निर्माण विभाग को ऑन लाइन करने एवं विभागीय बेबसाईट पर ऑन लाइन करने हेतु।

34

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव